उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या-29/2018/ 1862/अड़तीस-7-2018-45नरेगा/2007

लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या-10सन्1897) की धारा-21 और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या-42, सन् 2005) की धारा-32 की उप-धारा(2) के खण्ड(ग) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-677/38-7-2013-45नरेगा/2007 दिनांक 21 फरवरी, 2013 का अधिक्रमण करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-32 की उप-धारा(1) की अपेक्षानुसार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांकः से 15 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जायेंगे।

नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तियों और सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद नियमावली, 2018

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएं

2-(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या-42, सन् 2005) से है ;

(ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य राज्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ग) ''सदस्य-सचिव'' का तात्पर्य राज्य परिषद् के सदस्य-सचिव से है;

(घ) ''राज्य परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद् से है;

(ङ) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(च) ''योजना'' का तात्पर्य धारा-4 की उप-धारा(1) के अधीन बनायी गयी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और योजना में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- राज्य परिषद की संरचना

राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगे, अर्थात् ः

(क) पदेन सदस्यः-

1-	कृषि उत्पादन आयुक्त	उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष(पदेन)
2.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
4.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
6.	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
7.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
8.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
9.	प्रमुख सचिव, वन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
10.	प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
11.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
12.	प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
13.	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
14.	प्रमुख सचिव, रेशम उत्पादन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
15.	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
16.	निदेशक,(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) सामाजिक लेखा-परीक्षा संगठन	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
17.	आयुक्त, ग्राम्य विकास	उत्तर प्रदेश	सदस्य(पदेन)
18.	रोजगार गारण्टी आयुक्त	उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव(पदेन)

(ख) नियम-4 के उप-नियम(2) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बारह गैर-सरकारी सदस्य।

<u>अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये निबंधन और शर्तें-</u>

4-(1) राज्य परिषद् के अध्यक्ष और पदेन सदस्य वही होंगे, जैसा कि नियम-3 में उल्लिखित है।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिक संगठन और अलाभकारी समूहों में से राज्य सरकार द्वारा नामांकन द्वारा किया जायेगा, परन्तु यह कि गैर-सरकारी सदस्यों के एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, एक तिहाई गैर-सरकारी सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से संबंधित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और इन सदस्यों के शेष एक तिहाई सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से होंगेः-

एक. एक सदस्य कार्य के किसी क्षेत्र, जैसे कि अधिनियम की अनुसूची एक के अधीन सूचीबद्व या अधिसूचित जल संरक्षण, भूमि विकास, वन रोपण और वृक्षारोपण तथा ग्रामीण अभियांत्रिकी, में विशेषज्ञ होगा।

दो. एक सदस्य सामाजिक लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ होगा, और,

तीन. एक सदस्य मजदूरी रोजगार में विशेषज्ञ होगा।

चार. उपनियम(2) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि एक वर्ष के लिये होगी।

पांच. गैर सरकारी सदस्य यथास्थिति राज्य सरकार के अधिकारियों और सेवकों के लिए अनुज्ञेय दरों पर राज्य परिषद की बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

छः गैर सरकारी सदस्य भी राज्य परिषद की बैठकों के लिये या किसी अन्य सरकारी कार्यों, जिसमें वे लखनऊ स्थित मुख्यालय में या राज्य परिषद द्वारा आमंत्रित किये जाने पर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होते हैं, के लिए एक हजार रूपये प्रतिदिन की दर से मानदेय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

<u>गैर-सरकारी सदस्यों के त्याग पत्र आदि</u>

5-(1) कोई गैर-सरकारी सदस्य

किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) राज्य सरकार किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

(घ) उसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ; या

(ड) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है; या

(च) वह अपने नियंत्रण से परे कारणों के सिवाय या अध्यक्ष की अनुमति के बिना राज्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

(3) किसी गैर-सरकारी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु, उसे हटाये जाने के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जायेगा जिसका वह सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा था और नया नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह सदस्य जिसके स्थान पर वह आया है, पद धारण करने का हकदार होता, यदि रिक्ति न हुई होती।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>राज्य परिषद की बैठकें और उसकी गणपूर्ति</u>

6-(1) राज्य परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार या अधिक बार जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे स्थान और ऐसे समय पर जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए, बैठकें करेगीः

परन्तु यह कि राज्य परिषद् की क्रमवर्ती दो बैठकों के बीच छः महीनों का अंतराल नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन राज्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) राज्य परिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति उसके एक तिहाई सदस्यों से होगी।

बैठकों की प्रक्रियाः

7- (1) सदस्य-सचिव राज्य परिषद् की किसी बैठक के लिए कम से कम चैदह दिन की स्पष्ट नोटिस, उसमें बैठक का दिनांक, समय और स्थान बताते हुए देगा।

(2) यदि परिषद् के सदस्य गणपूर्ति के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो अध्यक्ष बैठक को किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित कर सकेगा।

(3) राज्य परिषद् की किसी बैठक के समक्ष लाये जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चिय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

(4) किसी संकल्प अथवा प्रश्न पर मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) सदस्य-सचिव किसी बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित उस बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा।

राज्य परिषद् के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

8- (क) स्कीम से सम्बन्धित समस्त मामलों और राज्य में उनके क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(ख) वरीयता वाले कार्यो का निर्धारण करना;

(ग) अनुश्रवण एवं निवारण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिश करना;

(घ) अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के बारे में सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु यथासम्भव प्रोत्साहन देना;

(ड) राज्य में अधिनियम और स्कीमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना एवं राज्य परिषद् के साथ ऐसे क्रियान्वयन का समन्वयन करना;

(च) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य या कृत्य जो उसे राज्य परिषद् या राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जाय;

(ज) राज्य परिषद् को राज्य में संचालित स्कीमों का मूल्यांकन प्रारम्भ करने और उक्त प्रयोजन के लिए राज्य में स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने एवं करवाने की शक्ति होगी।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यकारिणी समितिः-

9-(1) राज्य परिषद सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन में अपनी सहायता करने के लिए कार्यकारिणी समिति नाम की एक समिति का गठन करेगी;

(2) उप नियम(1) के अधीन गठिन कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् ः

1	प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास।	उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष(पदेन)
2	रोजगार गारण्टी आयुक्त / आयुक्त, ग्राम्य विकास	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
3.	संयुक्त सचिव, /विशेष सचिव, ग्राम्य विकास(मनरेगा)	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
4	वित्त नियंत्रक, आयुक्त, ग्राम्य विकास का कार्यालय	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
5	निदेशक, सामाजिक लेखा	उत्तर प्रदेश(महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) सामाजिक लेखा संगठन	सदस्य(पदेन)
6	आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त (मनरेगा)	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य-सचिव (पदेन)

कार्यकारिणी समिति के कृत्यः-

10- (1) राज्य परिषद् के सामान्य अधीक्षण और निदेशों के अध्यधीन, कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् ः

(क) राज्य परिषद् के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए उपाय करना;

(ख) राज्य परिषद् के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का प्रबन्ध करना;

(ग) राज्य परिषद् के कार्यो के संबंध में व्यय की मंजूरी देना;

(घ) तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञ दलों की नियुक्ति करना और अधिनियम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सलाह देना;

(ड) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो राज्य परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाय।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अथवा यदि राज्य परिषद् द्वारा अपेक्षा की जाय तो अधिक बार होगी।

राज्य परिषद् की निधियां-

11- (1) राज्य परिषद् अपने कार्यों और अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन उसे सौंपे गये कार्यो पर होने वाले व्यय की पूर्ति राज्य रोजगार गारण्टी निधि द्वारा उसे जारी किये गये वार्षिक अनुदान से करेगी।

(2) राज्य परिषद् की निधियां राज्य परिषद्(राज्य शेयर) द्वारा यथा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्रचालित की जायेंगी।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
GRAMYA VIKAS ANUBHAG-7

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1862 /XXXVIII-7-2018-45NREGA/2007 dated 24 September, 2018.

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

No. 1862 /XXXVIII-7-2018-45NREGA/2007

Lucknow: Dated: 24 September, 2018

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub section(1) of section 32 of the National Rural Employment Guarantee Act 2005(Act no. 42 of 2005) read with clause (c) of sub-section(2) of the said section and section 21 of Uttar Pradesh general clauses act 1904(Act no. 10 of 1897 and in supersession of Govt. notification no. 677/XXXVIII-7-2013-45NREGA/2007 dated 21 February, 2013 is hereby published with a view to inviting objections and suggestions as required under sub-section(1) of section-32 of the said Act;

Objections and suggestions, if any, shall be send in writing addressed to the Pramukh Sachiva, Gramya Vikas Vibhag within 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette.

Objections and suggestions received after the stipulated date shall not be considered.

Draft Rules

THE UTTAR PRADESH STATE EMPLOYMENT GUARANTEE STATE COUNCIL RULES, 2018

1. **Short title and commencement**: 1- (1) These rules may be called the **THE UTTAR** PRADESH STATE EMPLOYMENT GUARANTEE STATE COUNCIL RULES, 2018.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) . They shall come into force at once.

2. **Definitions: 2- (1)** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a). "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005(Act no. 42 of 2005);

(b). "**Chairperson" means** the Chairperson of the State Council.

(c) "**Member-Secretary**" means the Member-Secretary of the State Council.

(d)."**State Council"** means the UTTAR PRADESH STATE EMPLOYMENT GUARANTEE STATE COUNCIL constituted under Uttar Pradesh Gramin Rozgar Guarantee Yojna;

(e). **"Section"** means a section of the Act.

(f). "**Scheme**" means Mahatma Gandhi Rastriya Gramin Rozgar Guarantee Yojna, Uttar Pradesh made under sub section(1) section 4.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Scheme.

3. **Composition of the State Council**: The State Council shall consist of the following members namely:-

(a) Ex- Officio Members:-

1.	Agriculture Production Commissioner	Government of Uttar Pradesh	Chairperson (Ex-Officio)
2.	Principal Secretary, Rural Development	Government of Uttar Pradesh	Vice-Chairperson (Ex-Officio)
3.	Principal Secretary, Planning Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
4.	Principal Secretary, Panchayati Raj Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
5.	Principal Secretary, Finance Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
6.	Principal Secretary, Minor Irrigation Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
7.	Principal Secretary, Rural	Government of	Member

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Engineering Department	Uttar Pradesh	(Ex-Officio)
8.	Principal Secretary, Public Works Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
9.	Principal Secretary, Forest Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
10.	Principal Secretary, Land Development and Water Resource Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
11.	Principal Secretary, Agriculture Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
12.	Principal Secretary, Fishries Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
13.	Principal Secretary, Irrigation Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
14.	Principal Secretary, Sericulture Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
15	Principal Secretary, Horticulture and Food Processing Department	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
16.	Director, (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) Social Audit Organisation	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
17.	Commissioner,Rural Development	Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
18.	Rozgar Guarantee Ayukta	Uttar Pradesh	Member-Secretary (Ex-Officio)

(b). Twelve Non-Official Members appointed by the State Government as per provisions of sub-rule(2) of rule 4.

<u>Terms and Conditions for the appointment of Chairperson and members :</u>

4-(1) The Chairperson and Ex- officio members of the State Council shall be such as mentioned in rule-3.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) The non- official members shall be appointed by nomination by the State Government from Panchayati Raj Institutions, Organisation of workers and disadvantaged groups provided that one third of the non-official members shall be women, one third non- official members shall be nominated from persons belonging to the Scheduled Castes, Schedule tribes, the Other backward classes and minorities and the remaining one third of these members shall be from the following categories:-

I. One member shall be an expert in any of the areas of works, such as water conservation, land development, afforestation and plantation and rural engineering listed or notified under Schedule-I of the Act.

II. one member shall be an expert in Social Audit, and,

III. one member shall be an expert on wage employment.

IV.The term of office of the non official members nominated under sub rule(2) shall be for one year.

V.The non official members shall be entitled to receive travelling allowance and dearness allowance for attending a meeting of the State Council as the case may be, at the rates admissible to the State Government officers and servants.

VI. The non-official members shall also be entitled to recieve honorarium at the rate of one thousand rupees per day for the days of the meetings of the State Council or any other official works for which they attend to at the headquarters at Lucknow or at any other place on invitation by the State Council**.**

Resignation etc. of non-official members:

5- **(1)** Any non official member may by writing under his hand addressed to the Chairperson resign from his office at any time.

` **(2)** The State Government may remove from office a non-official member if he-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(f) remains absent for three consecutive meetings of the State Council except for reasons beyond his control or without permission of the Chairperson.

(3) Any vacancy caused in the State Council due to resignation, death, removal or otherwise of a non-official member shall be filled from the same category to which such member was representing and the person newly nominated shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occured.

6. Meetings of the State Council and its quorum: **(1)** The State Council shall meet at least two times in a year or more frequently as it may consider necessary, at such place and at such time, as may be determined upon by the Chairperson:

Provided that six months shall not intervene between two consecutive meetings of the State Council;

(2) The Chairperson shall preside over every meeting of the State Council and in his absence, the Principal Secretary, Rural Development Government of Uttar Pradesh shall preside over the meeting of State Council.

(3) One third members of the State Council shall constitute for the quorum of a meeting.

7. **Procedure of the meetings:-** **(1)** The Member-Secretary shall give at least fourteen clear days notice for a meeting of the State Council, giving therein the date, time and place of the meeting.

(2) If the members of the council are not present to form the quorum Chairperson may postpone the meeting to another date.

(3) Every question brought before any meeting of the State Council shall be decided by a majority of the members present and voting.

(4) In the case of an equality of votes on any resolution or question, the Chairperson shall have a casting vote.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) The Member-Secretary shall, within fifteen days of a meeting, circulate the minutes of that meeting duly approved by the Chairperson.

8. <u>Duties and functions of the State Council shall include</u>-

a) advising the State Government on all matters concerning the Scheme and its implementation in the State;

b) determining the preferred works;

c) reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time and recommending improvements;

d) promoting the widest possible dissemination of information about the Act and the Schemes under it;

e) monitoring the implementation of the Act and the Schemes in the State and coordinating such implementation with the State Council;

f) preparing the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government;

g) any other duty or function as may be assigned to it by the State Council or the State Government;

h) The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the Schemes operating in the State and for that purpose to collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Schemes and Programmes in the State.

9<u>. Executive Committee-</u> (1) The State Council shall constitute a Committee to be called the Executive Committee to assist it to discharge the duties and perform the fuctions assigned it;

(2) Executive Committee constituted under sub-rule(1) shall consist of the following namely:

1.	Principal Secretary, Rural Development	Government of Uttar Pradesh	President (Ex-Officio)
2.	Rojgar Guarantee Ayukat/ Ayukat, Rural Development.	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
3.	Joint Secretary/Special Secretary,	Government of Uttar	Member

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Rural Development (MGNREGA)	Pradesh	(Ex-Officio)
4.	Finance Controller, Office of the Commissioner Rural Development	Government of Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
5.	Director, Social Audit	Uttar Pradesh (Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme) Social Audit Organisation	Member (Ex-Officio)
6.	Commissioner/Rozgar Guarantee Ayukta (MGNREGA)	Government of Uttar Pradesh	Member-Secretary (Ex-Officio)

10. Function of the Executive Committee:- (1) Subject to the general superintendence and directions of the State Council, the Executive Committee shall perform the following duties and functions, namely:-

a) take steps to give effect to the decisions of the State Council;

b) manage the administrative and financial affairs of the State Council;

c) sanction expenditure in connection with the affairs of the State Council;

d) appoint expert groups for technical support and advice to improve the quality of implementation of the Act;

e) exercise such powers and perform such functions as may be entrusted to it by the State Council.

(2) The Executive Committee shall meet at least once in three months or more frequently, if required by the State Council.

11. Funds of the State Council:- (1) The State Council shall meet its expenses in connections with its affairs and the functions entrusted to it under the Act or these rules from the annual grant released to it by the State Employment Guarantee Fund.

(2) The funds of the State Council shall be operated through a Scheduled bank as approved by the State Council(State share).

Anurag Srivastava
Principal Secretary

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।